भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं.ईसीआई/प्रे.नो./73/2017 दिनांक: 12 सितम्बर, 2017

प्रेस नोट

विषय: पंजाब के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा में और केरल राज्य की विधान सभा में आकस्मिक रिक्तियां भरने के लिए उप-निर्वाचनों हेतु अनुसूची-तत्संबंधी।

लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में निम्नलिखित स्पष्ट रिक्तियां हैं जिन्हें भरे जाने की आवश्यकता है:

क्र.सं.	**राज्य**	**संसदीय/विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र की संख्या और नाम**
1.	पंजाब	1-गुरदासपुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र
2.	केरल	41-वेंगरा विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र

स्थानीय त्यौहारों, निर्वाचक नामावलियों, मौसमी स्थितियों आदि जैसे विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने इन रिक्तियों को निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार भरने के लिए उप-निर्वाचन करने का निर्णय लिया है:

मतदान कार्यक्रम	**तारीख**
अधिसूचना जारी करने की तारीख	**15.09.2017 (शुक्रवार)**
नाम निदेशन करने की अंतिम तारीख	**22.09.2017 (शुक्रवार)**
नाम निदेशनों की संवीक्षा की तारीख	**25.09.2017 (सोमवार)**
अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख	**27.09.2017 (बुधवार)**
मतदान की तारीख	**11.10.2017 (बुधवार)**
मतों की गणना की तारीख	**15.10.2017 (रविवार)**
वह तारीख जिससे पहले निर्वाचन समाप्त हो जाएगा	**17.10.2017 (मंगलवार)**

निर्वाचक नामावली

दिनांक **01-01-2017** के संदर्भ में पंजाब और केरल की निर्वाचक नामावलियां अंतिम रुप से प्रकाशित कर दी गई हैं। राज्यों में उप-निर्वाचन मौजूदा नामावलियों से आयोजित किए जाएंगे।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम)

आयोग ने सभी मतदान केन्द्रों में उप-निर्वाचनों में ईवीएम और वीवीपीएटी का प्रयोग करने का निर्णय लिया है। ईवीएम और वीवीपीएटी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराई गई हैं और यह सुनिश्चित करने के पूरे प्रयास किए गए हैं कि इन मशीनों से मतदान निर्विघ्न रुप से संचालित किए जाएं।

<u>मतदाताओं की पहचान</u>

विगत प्रथा के अनुरूप, आयोग ने निर्णय लिया है कि उपर्युक्त उप-निर्वाचनों में मतदान के समय मतदाता की पहचान करना अनिवार्य होगा। मतदाता फोटो पहचान-पत्र (ईपीआईसी) मतदाता की पहचान का मुख्य दस्तावेज होगा। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे, यदि उसका नाम निर्वाचक नामावलियों में दिया गया हो, उक्त उप-निर्वाचनों में मतदान के समय मतदाताओं की पहचान करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों की अनुमति देने हेतु अलग से निदेश जारी किए जाएंगे।

<u>आचार संहिता</u>

आयोग के दिनांक **29** जून, **2017** के अनुदेश सं **437/6/**अनु**.2016/**सीसीएस के तहत जारी किए गए आंशिक संशोधन के अध्यधीन आदर्श आचार संहिता उन जिलों में तात्कालिक प्रभाव से लागू होगी जिनमें उप-निर्वाचन होने वाले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण या कोई भाग सम्मिलित है (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध)। आदर्श आचार संहिता सभी अभ्यर्थियों, राजनैतिक दलों और संबंधित राज्य सरकारों के लिए लागू होगी। आदर्श आचार संहिता संबंधित राज्यों की संघ सरकार के लिए भी लागू होगी।

(सुमित मुखर्जी)
प्रधान सचिव